

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 06, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेन्द्र सिंह आत्मज स्व. बी. एल. पटेल, उम्र 56 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-एन. बी. 19, सी. एस. पी. जी. सी. एल. कॉलोनी, कोरबा (पूर्व) तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं सी. एस. पी. जी. सी. एल. के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (डी. एस. पी. एम.) ताप विद्युत केन्द्र कोरबा (पूर्व) में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम जितेन्द्र सिंह है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम “जितेन्द्र सिंह पटेल” दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे जितेन्द्र सिंह आत्मज स्व. बी. एल. पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जितेन्द्र सिंह पटेल
पिता-स्व. बी. एल. पटेल
निवासी-क्वा. नं.-एन. बी. 19,
सी. एस. पी. जी. सी. एल. कॉलोनी,
कोरबा (पूर्व),
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

जितेन्द्र सिंह
पिता-स्व. बी. एल. पटेल
निवासी-क्वा. नं.-एन. बी. 19,
सी. एस. पी. जी. सी. एल. कॉलोनी,
कोरबा (पूर्व),
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अलंकार शर्मा आत्मज श्री मुकेश कुमार शर्मा, उम्र 23 वर्ष निवासी-अलंकार इंटरप्राइजेस, दुर्गा आटा चक्की के पास, महादेव घाट, सुन्दर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कक्षा 10वीं तथा 12वीं, के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरे माता-पिता का नाम श्रीमती अर्पणा शर्मा, मुकेश शर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे माता-पिता का वास्तविक व पूर्ण नाम श्रीमती अर्पणा शर्मा (Smt.Arpana Sharma) तथा श्री मुकेश कुमार शर्मा (Shri Mukesh Kumar Sharma) है। मैं अपने माता-पिता का वास्तविक नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अलंकार शर्मा आत्मज श्री मुकेश कुमार शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अलंकार शर्मा
पिता-मुकेश शर्मा
(Mukesh Sharma)
माता-श्रीमती अर्पणा शर्मा
(Mother-Smt. Arpana Sharma)
निवासी-अलंकार इंटरप्राइजेस,
दुर्गा आटा चक्की के पास,
महादेव घाट, सुन्दर नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अलंकार शर्मा
पिता-श्री मुकेश कुमार शर्मा
(S/o-Shri Mukesh Kumar Sharma)
माता-श्रीमती अर्पणा शर्मा
(Mother-Smt. Arpana Sharma)
निवासी-अलंकार इंटरप्राइजेस,
दुर्गा आटा चक्की के पास,
महादेव घाट, सुन्दर नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद जमीर आत्मज स्व. मोहम्मद शफी, उम्र 39 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-41, केलाबाड़ी, मजार के पास, दुर्गा, तहसील व जिला दुर्गा (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मो. जमीर आ. मो. शमीम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम मोहम्मद शफी है जो कि उनके आधार कार्ड, पेनकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम मोहम्मद जमीर रख लिया हूँ। मेरा यह परिवर्तित यह पूर्ण नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मोहम्मद जमीर (Mohammad Zameer) आत्मज स्व. मोहम्मद शफी (Late Mohammad Shafi) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मो. जमीर
पिता-मो. शमीम
निवासी-वार्ड नं.-41, केलाबाड़ी,
मजार के पास, दुर्गा,
तह. व जिला-दुर्गा (छ. ग.)

नया नाम

मोहम्मद जमीर
(Mohammad Zameer)
पिता-स्व. मोहम्मद शफी
(S/o-Late Mohammad Shafi)
निवासी-वार्ड नं.-41, केलाबाड़ी,
मजार के पास, दुर्गा,
तह. व जिला-दुर्गा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनिता मनीष सोनी ध. प. श्री मनीष कुमार सोनी, उम्र 42 वर्ष, निवासी-मोगरा 93, बी ब्लॉक, तालपुरी, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 490006 की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती अनिता सोनी दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम श्रीमती अनिता मनीष सोनी है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है। मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, मेरा पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती अनिता मनीष सोनी (Smt. Anita Manish Soni) ध. प. श्री मनीष कुमार सोनी (Shri Manish Kumar Soni) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती अनिता सोनी
(Smt. Anita Soni)
पति-श्री मनीष कुमार सोनी
(W/o-Shri Manish Kumar Soni)
निवासी-मोगरा 93, बी ब्लॉक,
तालपुरी, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-490006

नया नाम

श्रीमती अनिता मनीष सोनी
(Smt. Anita Manish Soni)
पति-श्री मनीष कुमार सोनी
(W/o-Shri Manish Kumar Soni)
निवासी-मोगरा 93, बी ब्लॉक,
तालपुरी, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-490006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेन्द्र सिंह चंदेल आत्मज श्री गोपाल सिंह चंदेल, निवासी-क्वा. नं.-6 बी, सड़क-29, सेक्टर-5, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा पूर्ण व वास्तविक नाम सुरेन्द्र सिंह चंदेल है, किन्तु मेरे कुछ प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश सिंह दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे सुरेन्द्र सिंह चंदेल आत्मज श्री गोपाल सिंह चंदेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुरेश सिंह
पिता-श्री गोपाल सिंह चंदेल
निवासी-क्वा. नं.-6 बी,
सड़क-29, सेक्टर-5,
भिलाई नगर,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुरेन्द्र सिंह चंदेल
पिता-श्री गोपाल सिंह चंदेल
निवासी-क्वा. नं.-6 बी,
सड़क-29, सेक्टर-5,
भिलाई नगर,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आनंद कुमार नायक आत्मज स्व. भारत भूषण नायक, उम्र 60 वर्ष, निवासी-मकान नं.-291, सड़क-4, शांतिनगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों व राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम अनंत कुमार नायक दर्ज है। जो कि त्रुटिपूर्ण है कुछ अन्य दस्तावेजों में आनंद कुमार नायक दर्ज है। जो कि मेरा वास्तविक नाम है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे आनंद कुमार नायक (Anand Kumar Nayak) आत्मज स्व. भारत भूषण नायक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अनंत कुमार नायक
(Anant Kumar Nayak)
पिता- स्व. भारत भूषण नायक
निवासी-मकान नं.-291,
सड़क-4, शांतिनगर,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

आनंद कुमार नायक
(Anand Kumar Nayak)
पिता- स्व. भारत भूषण नायक
निवासी-मकान नं.-291,
सड़क-4, शांतिनगर,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक शाह आत्मज स्व. गोवर्धन दास शाह, उम्र 51 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-16, शांतिनगर, नगरपालिका कार्यालय, भिलाई-चरोदा के सामने, एसबीआई एटीएम के पीछे, भिलाई-3, थाना-पुरानी भिलाई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम दीपक कुमार आनंदपरा आ. गोवर्धन दास आनंदपरा था। मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम दीपक कुमार शाह आ. श्री गोवर्धन दास दर्ज है, किन्तु मेरे पिता का वास्तविक नाम गोवर्धन दास शाह है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम दीपक शाह आत्मज गोवर्धन दास शाह रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे दीपक शाह आत्मज स्व. गोवर्धन दास शाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

दीपक कुमार आनंदपरा,
दीपक कुमार शाह
पिता-श्री गोवर्धनदास आनंदपरा,
गोवर्धन दास
निवासी-वार्ड नं.-16, शांतिनगर,
नगरपालिका कार्यालय,
भिलाई-चरोदा के सामने,
एसबीआई एटीएम के पीछे, भिलाई-3,
थाना-पुरानी भिलाई,
, तहसील-पाटन,
जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दीपक शाह
पिता-स्व. गोवर्धन दास शाह
निवासी-वार्ड नं.-16, शांतिनगर,
नगरपालिका कार्यालय,
भिलाई-चरोदा के सामने,
एसबीआई एटीएम के पीछे, भिलाई-3,
थाना-पुरानी भिलाई,
, तहसील-पाटन,
जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कपिल कुमार सिन्हा आत्मज श्री श्याम लाल सिन्हा, उम्र 33 वर्ष, निवासी-म. नं.-407/43, वार्ड नं.-43, कन्हैयापुरी चौक कसारीडीह, बोरसी रोड, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व मेरे घर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम थानुराम सिन्हा दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम कपिल कुमार सिन्हा रख लिया हूँ जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नये नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे कपिल कुमार सिन्हा आत्मज श्री श्याम लाल सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

थानुराम सिन्हा
पिता-श्री श्याम लाल सिन्हा
निवासी-म. नं.-407/43,
वार्ड नं.-43, कन्हैयापुरी
चौक, कसारीडीह,
बोरसी रोड, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कपिल कुमार सिन्हा
पिता-श्री श्याम लाल सिन्हा
निवासी-म. नं.-407/43,
वार्ड नं.-43, कन्हैयापुरी
चौक, कसारीडीह,
बोरसी रोड, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोशन लाल देशमुख आत्मज श्री कामता, उम्र लगभग 31 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम रोशन लाल देशमुख है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु ग्राम भानपुरी में मेरे नाम की भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम “मुन्ना” दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे रोशन लाल देशमुख आत्मज श्री कामता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मुन्ना
पिता-श्री कामता
निवासी-सेक्टर-11,
खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रोशन लाल देशमुख
पिता-श्री कामता
निवासी-सेक्टर-11,
खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जनध्याला श्रीनिवास आत्मज स्व. जे. व्ही. एल. एन. मूर्ति, उम्र 43 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-19/बी., सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम जे. श्रीनिवास (J. Srinivas) दर्ज है, जबकि मेरा पूर्ण नाम जनध्याला श्रीनिवास है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड में अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे जनध्याला श्रीनिवास (Jandhyala Srinivas) आत्मज स्व. जे. व्ही. एल. एन. मूर्ति (Late J. V. L. N. Murthy) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

जे. श्रीनिवास
(J. Srinivas)
पिता-स्व. जे. व्ही. एल. एन. मूर्ति
(S/o-Late J. V. L. N. Murthy)
निवासी-क्वा. नं.-19/बी.,
सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाईनगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जनध्याला श्रीनिवास
(Jandhyala Srinivas)
पिता-स्व. जे. व्ही. एल. एन. मूर्ति
(S/o-Late J. V. L. N. Murthy)
निवासी-क्वा. नं.-19/बी.,
सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाईनगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश कुमार बघमार आत्मज श्री कौशल कुमार बघमार, उम्र 31 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-मकान नं.-122, ग्राम-खपराडीह, पोस्ट-रावन, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, 493196 (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम मुकेश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरा पूर्ण नाम मुकेश कुमार बघमार आत्मज श्री कौशल कुमार बघमार है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मुकेश कुमार बघमार (Mukesh Kumar Baghmar) आत्मज श्री कौशल कुमार बघमार (Shri Kaushal Kumar Baghmar) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मुकेश कुमार
(Mukesh Kumar)
पिता-श्री कौशल कुमार बघमार
(S/o-Shri Kaushal Kumar Baghmar)
निवासी-मकान नं.-122,
ग्राम-खपराडीह, पोस्ट-रावन,
तहसील-सिमगा,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,
पिन-493196 (छ. ग.)

नया नाम

मुकेश कुमार बघमार
(Mukesh Kumar Baghmar)
पिता-श्री कौशल कुमार बघमार
(S/o-Shri Kaushal Kumar Baghmar)
निवासी-मकान नं.-122,
ग्राम-खपराडीह, पोस्ट-रावन,
तहसील-सिमगा,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,
पिन-493196 (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन
जिला दुर्ग (छ. ग.)

पाटन, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

प्रारूप

[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयन दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/2110/प्र. 01/अ. वि. अ./2020.—यह कि आवेदक डॉ. इन्द्राणी घोष 48 वर्ष पति श्री एस. एन. घोष निवासी प्लॉट नंबर 10/ए सड़क नंबर 06 सेक्टर 10 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छ. ग. द्वारा श्री अरविन्दो योगा एण्ड नालेज फाउण्डेशन ट्रस्ट पता एस. आई. टी. के पास फुण्डा तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है। एतद्वारा सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में सुनवाई दिनांक 09-11-2020 को विचार किया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना में प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकृत पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त अवधि के अवसान होने के बाद किसी प्रकार के दावा/आपत्ति पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------------|----|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | श्री अरविन्दो योगा एण्ड नालेज फाउण्डेशन ट्रस्ट
पता एस. आई. टी. के पास फुण्डा तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) |
| 2. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |
| 3. | चल संपत्ति | :- | निरंक |

(विनय कुमार पोयाम)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 09 अक्टूबर 2020

क्रमांक/1484/उपरां/परि./2020.—संयुक्त जिला कार्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साख समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र. 07 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (1) अंतर्गत वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है एवं सदस्य संस्था को संचालित नहीं करना चाहते हैं इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह जाता है, जिसमें संस्था के अकार्यशील व कार्य व्यवसाय में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाए रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है।

अतः मैं जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञापित क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं संयुक्त जिला कार्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साख समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र. 07 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी राजनांदगांव उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 09-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो
उप पंजीयक